


II/निग०/सीधी/2018/01820

285

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय मोप्र० राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट

रीवा, जिला रीवा (मोप्र०)



1— कालू तनय बैठोले मुसलमान

सभी के पिता शेख मोह० सभी

2— इस्टाक मोह०

निवासी ग्राम पमरिया, तहसील

3— औसाने मोह०

सिहावल, जिला सीधी (मोप्र०)

4— मजीद मोह०

—आवेदकगण

5— किन्ना मोह०

बनाम

1— गुले सत्तार तनय परदेशी

सभी निवासी ग्राम पमरिया, तहसील

2— गुलाम मोह०

सिहावल, जिला सीधी (मोप्र०)

3— सुदामा तनय बली मोह०

—अनावेदकगण

4— ऐनुल तनय बली मोह०

निगरानी विरुद्ध आदेश तहसीलदार तहसील

सिहावल, जिला सीधी दिनांक 07/03/18

वावत प्र०क०-218/अ-74/2017-18अंतर्गत धारा 50 मोप्र० भू राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :-

- 1— यह कि अधीनस्थ न्यायालय आदेश विधि, प्रक्रिया व अभिलेख के विरुद्ध है।
- 2— यह कि विवादित भूमियाँ शासकीय भूमियाँ नहीं हैं बल्कि आवेदक के स्वत्व, स्वामित्व, आधिपत्य की भूमियाँ हैं फिर भी अनावेदक मोप्र० शासन को पक्षकार बनाकर अधीनस्थ न्यायालय ने दूषित कार्यवाही किया।
- 3— यह कि यदि अनावेदक के आवेदन पेश करने की तिथि में आवेदकगण अभिलिखित भूमिस्वामी दर्ज थे तो विधि के उपबंधों के

M

मिस्ट्रेस रुख़ानी

A.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

प्रकरण क्रमांक 215 / निग० / रीवा / भू—रा० / 2018 / 1820

जिला—सीधी

कालू मुसलमान / गुले सत्तार

(1)

(2)

(3)

24.04.19

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रजनीश मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील सिहावल के प्रकरण क्रमांक 215 / अ—74 / 2017—18 में पारित आदेश दिनांक 07.03.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म०प्र० भू—राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 16.07.19 को कलेक्टर, जिला सीधी के समक्ष उपस्थित हो।

म

प्र
म

(बी.एम.शर्मा),
सदस्य